संख्या-49014/2/2008-स्था.(सी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

--

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई, 2008.

5 श्रावण

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अस्थायी दर्जे वाले शारीरिक रूप से नि:शक्त अनियत मजदूरों को सामान्य से दुगुने दर पर परिवहन भत्ते की मंजूरी ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अस्थायी दर्जे वाले नि:शक्त अनियत मजदूरों को सामान्य से दुगुने दर पर परिवहन भत्ते की मंजूरी के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है ।

2. अस्थायी दर्जे वाले अनियत मजदूरों को परिवहन भत्ते का लाभ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 49014/3/97-स्था.(सी.) दिनांक 01 अप्रैल, 1998 द्वारा दिया गया था । यहां एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अस्थायी दर्जे वाले शारीरिक रूप से नि:शक्त अनियत मजदूरों को सामान्य से दुगुने दर पर परिवहन भत्ते का हकदार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.-19029/1/78-ई.IVबी दिनांक 31.08.78 में निहित सेवा शर्तों की शर्त के अधीन बनाया जा रहा है ।

(ए.के. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।